न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 135/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/193)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जानीर कौर पुत्री तोता सिंह पत्नी साधू सिंह जाति बावरी निवासी मकान नम्बर 320, मिर्जापुर(125) सिरसा हरियाणा।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 24.07.2024

उपस्थितः 1.श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

---निर्णय--- दिनांक : 23.07.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 3 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 07/07 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 3.036 हैक्टेयर भूमि में वादी के नाम 1/12 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी का नाम जंगीरो बाई पुत्री तोता सिंह अंकित है। वादी के पहचान सम्बधी दस्तावेजो में नाम जानीर कौर पत्नी साधू सिंह अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 07/07 में वादी के अंकित नाम जंगीरो बाई पुत्री तोता सिंह के स्थान पर जानीर कौर पुत्री तोता सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 320 दिनांक 11.06.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 3 एफ एफ के खाता संख्या 7 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 3.036 हैक्टेयर भूमि जंगीरो बाई पुत्री तोता सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त नाम विरास्तन इन्तकाल संख्या 237 द्वारा राजकौर पुत्री अतर सिंह कौम बावरी के वारिसान की हैसियत से दर्ज हुआ है। पूछताछ में बताया गया कि राजकौर के पति का नाम तोता सिंह तथा इन दोनों के कुल 6 वारिस होना बताया गया । जिनमें से एक जंगीरो बाई उर्फ जानीर कौर पुत्री होना बताया गया। साक्ष्यवादी में गवाह प्रेम सिंह, कृष्ण सिंह उपस्थित आए। शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किया गया। साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई।

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

जानीर कौर बनाम राजस्थान सरकार
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 [illegible], 136 [illegible]
प्रकरण संख्या 136/[illegible]

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 3 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ. नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 07/07 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 3 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ. नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 07/07 में वादी के अंकित नाम जंगीरो बाई पुत्री तोता सिंह के स्थान पर जानीर कौर पुत्री तोता सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति में नाम जानीर कौर पत्नी साधू सिंह दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत मिर्जापुर के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार जानीर कौर पत्नी साधू सिंह जाति बावरी निवासी मिर्जापुर सिरसा हरियाणा की रहने वाली है। जानीर कौर व जंगीरो बाई दोनों नाम एक ही औरत के है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र गवाहन, सरपंच ग्राम पंचायत मिर्जापुर के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 07/07 में क्रम संख्या 4 पर अंकित नाम जंगीरो बाई पुत्री तोता सिंह के स्थान पर जंगीरो बाई उर्फ जानीर कौर पुत्री तोता सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम) (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्योराम) (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जानीर कौर बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 135/2025

निर्णय दिनांक :- 23.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 07/07 में क्रम संख्या 4 पर अंकित नाम जंगीरो बाई पुत्री तोता सिंह के स्थान पर जंगीरो बाई उर्फ जानीर कौर पुत्री तोता सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 23.07.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक [illegible].2025

क्रमांकः रीडर/2025/541

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर